न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—119 / 2017 (2017 / 00226) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—उदयलाल पिता छगनलाल ब्राहम्ण निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—भैरूलाल पिता मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—भैरूलाल पिता शंकरलाल ब्राहम्ण निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—प्रकाश पिता शंकरलाल ब्राहम्ण निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—दिनेश पिता शंकरलाल ब्राहम्ण निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—शान्ता बाई बेवा शंकरलाल ब्राहम्ण निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—कंकु पुत्री शंकरलाल ब्राहम्ण निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—विमला पुत्री शंकरलाल ब्राहम्ण निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—नानालाल पिता गोपीलाल ब्राहम्ण निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—जमनालाल पिता गोपीलाल ब्राहम्ण निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—रामेश्वर पिता गोपीलाल ब्राहम्ण निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12—रोशन पिता गोपीलाल ब्राहम्ण निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13—गंगाबाई बेवा गोपीलाल ब्राहम्ण निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14—पारस पिता पन्नालाल ब्राहम्ण निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15—श्यामलाल पिता पन्नालाल ब्राहम्ण निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16—राधेश्याम पिता पन्नालाल ब्राहम्ण निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17—पप्पु पिता पन्नालाल ब्राहम्ण निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18—भूरी बाई बेवा पन्नालाल ब्राहम्ण निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19—भगवती पुत्री पन्नालाल ब्राहम्ण निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
20—कमला पुत्री पन्नालाल ब्राहम्ण निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
21—अम्बालाल पिता मांगु ब्राहम्ण निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
22—सुखलाल पिता मांगु ब्राहम्ण निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
23—घीसी बेवा मांगु ब्राहम्ण निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
24—गणेश पिता सोहन ब्राहम्ण निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
25—लादी पुत्री सोहन ब्राहम्ण निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
26—पेमा बेवा अर्जुनलाल ब्राहम्ण निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
27—गंगाबाई बेवा सोहनलाल ब्राहम्ण निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
28—राधा बेवा लेहरू ब्राहम्ण निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
29—प्रेम पुत्री लेहरू ब्राहम्ण निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
30—रेखा पुत्री लेहरू ब्राहम्ण निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
31—कन्हैयालाल पिता भुरा ब्राहम्ण निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
32—लादु पिता नाथु ब्राहम्ण निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.13 17:46:34 IST
Reason: SelfAttested

बनाम

1—रतनलाल पिता कजोड़ जाट निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—रोशनलाल पिता कजोड़ जाट निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—बदामी पुत्री कजोड़ जाट निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—नोसर पुत्री कजोड़ जाट निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—गंगा बेवा कजोड़ जाट निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

6–नंगजीराम पुत्र प्रताप जाट निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–भैरू पुत्र प्रताप जाट निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8–चांन्दी पुत्री प्रताप जाट निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9–मथरा पुत्री प्रताप जाट निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10–गोपी पुत्री प्रताप जाट निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11–लहरी बेवा प्रताप जाट निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12–रोशनलाल पुत्र लहरू जाट निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13–कमला पुत्री लहरू जाट निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14–संतोकी बेवा लहरू जाट निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15–पारसमल पिता अम्बालाल जाट निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16–माधुलाल पिता अम्बालाल जाट निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17–नानुराम पिता अम्बालाल जाट निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18–उदयराम पिता अम्बालाल जाट निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19–मोहनी बेवा अम्बालाल जाट निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
20–देउदेवी पत्नि चम्पालाल जाट निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
21–शंकरीदेवी पत्नि लादुलाल जाट निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. सुनिल बापना – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पी.एस.चुण्डावत – अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय दिनांकः–28.12.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि बैरून हल्का आबादी ग्राम झडोल तहसील रायपुर की सरहद मे प्रार्थीगण के स्वामित्व आधिपत्य एवं हक अधिकार की आराजी संख्या 388 रकबा 4 बिस्वा कुआं जमाबंदी संवत 2052 से 2055 में दर्ज रेकार्ड था जिसे साबिक नक्शा ट्रेस में त्रिभुजाकार आकार में सड़क के पास दर्शाया गया था प्रमाण मे फोटोप्रति जमाबंदी संवत 2052 से 2055 व साबिक नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। साबिक आराजी संख्या 388 की जमाबंदी संवत 2052 से 2055 में दर्ज खातेदार चम्पा पिता श्रीचन्द जी ब्राम्हण का स्वर्गवास काफी समय पूर्व हो गया जिनके वारिसान प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 20 है। इसी प्रकार पूर्व खातेदार लेहरू पिता भूरा का भी स्वर्गवास हो गया है जिनके वारिसान प्रार्थीगण संख्या 28, 29 व 30 है। दौराने भू–प्रबन्ध सेटलमेन्ट अधिकारियों ने प्रार्थीगण के चाह साबिक आराजी संख्या 388 के नवीन नम्बर 685 कायम किये लेकिन नवीन नक्शा ट्रेश में उक्त 685 विपक्षीगण संख्या 1 एक लगायत 21 इक्कीस के आराजी संख्या 686 में स्थित कुएं पर अंकित कर उसे प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया एवं प्रार्थीगण का कुआं जो साबिक नक्शा ट्रेश मे त्रिभुजाकार होकर झडोल [illegible] रोड के पास स्थित था उसे नवीन नक्शा ट्रेश में छोटा कर समचौरस [illegible] नम्बर ही अंकित नहीं किये और प्रार्थीगण के उक्त कुएं को विपक्षी की आराजी संख्या 686 का भाग बता दिया, भू–प्रबन्ध अधिकारियों को इस तरह का फेरबदल बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना करने का कोई अधिकार नहीं है सेटलमेन्ट अधिकारियों की गलती से प्रार्थीगण के कुए को जो कि साबिक नक्शा ट्रेस में त्रिभुजाकार था को समचौरस बता दिया व कुएं व उसकी छूट की भूमि को विपक्षीगण की नवीन आराजी संख्या 686 में दर्शा दिया जबकि प्राथीगण की साबिक आराजी चाह

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.13 17:46:34 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 388 व विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 21 की साबिक आराजी संख्या–387 अलग–अलग होकर उनकी पालियां भी अलग–अलग है दौराने सेटलमेन्ट भू–प्रबन्ध अधिकारियों ने प्रार्थीगण की साबिक आराजी संख्या 378/1 के नवीन नक्शे में परिवर्तन कर नक्शे को छोटा कर दिया व आराजी संख्या 378/1 के भाग को हाल आराजी संख्या 686 में मिला दिया जिसे प्रार्थीगण दुरुस्त कराने के अधिकारी है प्रमाण में फोटोप्रति हाल नक्शा ट्रेश प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। सेटलमेन्ट अधिकारियों की उक्त गलती का पता प्रार्थीगण को दिनांक 01/11/2017 को हुआ जब उन्होंने तहसील कार्यालय रायपुर व पटवारी हल्का के पास नक्शा ट्रेश देखा सेटलमेन्ट विभाग की उक्त गलती का नाजायज फायदा विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 21 उठाना चाह रहे है और उन्होने बदनियन्तिपूर्वक दिनांक 09/11/2017 को प्रार्थीगण के साबिक चाह संख्या 388 की छूट की भूमि पर से थोहरों की बाढ़ को काट दिया तथा प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर पड़ी हुई खाद की रोडियो पर पत्थर डाल दिये व नीवें खुदवाना आरम्भ कर दिया, प्रार्थी लादुलाल ने विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 21 को रोकने का प्रयास किया तो प्रार्थीगण संख्या मे अधिक होने से प्रार्थी लादुलाल को मारने पर उतारू हुए जिसकी लिखित रिपोर्ट प्रार्थी लादुलाल ने दिनांक 10/11/2017 को थाना रायपुर पर पेश की, जिसकी प्रति प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 21 ने प्रार्थीगण को धमकी दी है कि वे अतिशिघ प्रार्थीगण के कुएं की छूट की भूमि पर कब्जा कर पक्के मकानों का निर्माण करेंगे इस हेतु विपक्षीगण ने मौके पर ईंटे रेत व निर्माण सामग्री भी इक्ठ्ठा कर ली है वे मौका पाकर प्रार्थीगण की उक्त आराजी में निर्माण करने पर आमादा है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण की आराजी में निर्माण करने से नही रोका गया तो अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन अर्थ में सभंव नही हो सकेगा व पक्षकारान के मध्य विवाद हो जायेंगे। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमाई जावे कि विपक्षीगण प्रार्थीगण की साबिक आराजी संख्या 388 जो साबिक नक्शे में त्रिभुजाकार होकर सड़क के पास स्थित थी जिसके नवीन नम्बर 378/1 को प्रार्थीगण के हक अधिकार व आधिपत्य में किसी प्रकार की दंखलदाजी नही करें, निर्माण नही करे प्रार्थीगण की रोड़ियो को बर्बाद नही करे, थोहरो की बाड़ को नही काटे एवं प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न औरो से करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 16.11.2017 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

विपक्षीगण ने अपने जवाब में अंकन किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में अकिंत तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थीगण स्वयं साबित करावे तथा प्रार्थीगण की साबिक आराजी संख्या 388 को सड़क के पास त्रिभुजाकार आकृति में सड़क के पास नही दर्शाया गया है। प्रार्थीगण की साबिक आराजी संख्या 388 के नवीन नम्बर सेटलमेन्ट दौरान 685 कायम किये गये स्वीकार है किन्तु नक्शा ट्रेस में [illegible] संख्या 685 का नम्बर विपक्षीगण की आराजी संख्या 686 में स्थित कुएं [illegible] साबिक नक्शे में त्रिभुजाकार कुआं दर्ज था, न झड़ोल से मोखुन्दा [illegible] के पास त्रि[illegible] में स्थित था। भू प्रबन्ध विभाग ने प्रार्थीगण व विपक्षीगण की आराजि[illegible] व मौके अनुरूप ही नवीन राजस्व नक्शे में तरमीमात की है। कुएं व उसकी छुट को समचौरस नही बताया, न ही विपक्षीगण की आराजी में फीट किया। विपक्षीगण सेटलमेन्ट विभाग की किसी गलती का फायदा नही उठा रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.13 17:46:34 IST
Reason: SelfAttested

साबिक चाह आराजी संख्या 388 की छुट की भूमि पर से थोहरो की बाड़ को नही काटा न ही खाद की रोड़ियो पर पत्थर ही डाले, न ही प्रार्थीगण की किसी भूमि पर नीवें खुदवाई, प्रार्थी लादुलाल को विपक्षीगण ने किसी प्रकार से रोकने का प्रयास नही किया। विपक्षीगण उनकी आराजी में निर्माण करवा रहे थे जिनका उन्हे पूर्ण अधिकार था तथा उसके पश्चात विपक्षीगण के दरवाजे भी सड़क की तरफ वर्षो से पूर्व खुले हुए है आगे प्रार्थीगण की कोई जमीन नही है। न ही उनका कोई अधिकार है। प्रार्थीगण के बताये अनुसार न तो प्रार्थीगण का कोई कब्जा है न ही जमीन है। विपक्षीगण की भूमि है, विपक्षीगण का निर्माण है और इस निर्माण पर प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है। काउन्टर प्रार्थना पत्र में रूप में निवेदन किया कि विपक्षीगण द्वारा जो जवाब में तथ्य अकिंत किये गये उनको दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण द्वारा गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिससे प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद कराया जावे कि प्रार्थीगण विपक्षीगण की उक्त आराजी से विपक्षीगण को बेदखल नही करे, उनके द्वारा किये गये किसी प्रकार के निर्माण को ध्वस्त नही करावे विपक्षीगण को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे व किसी प्रकार की नाजायज दंखलदाजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे इस हेतु काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विपक्षीगण के विरूद्व सव्यय खारीज फरमाया जावे व विपक्षीगण के पक्ष में प्रार्थीगण के विरूद्व ताफैसला काउन्टर क्लेम इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थीगण विपक्षीगण को आराजी संख्या 686 से बेदखल नही करे तथा उनके द्वारा किये गये किसी निर्माण को ध्वस्त नही करें तथा विपक्षीगण को उक्त आराजी का शान्ति पूर्वक तरीके से उपयोग उपभोग में कोई बाधा, रूकावट पैदा नही करे तथा न ही किसी प्रकार की कोई नाजायज दखलदांजी करें।

काउन्टर क्लेम के सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की साबिक आराजी संख्या 388 रकबा 4 बिस्वा त्रिभुजाकार आकार में सड़क के पास दर्शायी गई है जो साबिक नक्शा ट्रेस से स्पष्ट प्रमाणित है। प्रार्थीगण की साबिक आराजी संख्या 388 व विपक्षीगण की साबिक आराजी संख्या 387 अलग अलग नक्शे मे दर्ज थी जो साबिक नक्शा ट्रेस से प्रमाणित है। प्रार्थीगण की साबिक आराजी संख्या 388 त्रिभुजाकार के बजाय समचौरस दर्ज कर दी और रकबा भी 0.05 है0 के बजाय 0.04 है0 कर दिया। प्रार्थीगण के कुए को विपक्षीगण की नवीन आराजी संख्या 686 का भाग बता दिया जो गलत है। भू प्रबन्ध अधिकारियो को इस तरह का फेरबदल करने का कतई अधिकार नही था। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र प्रस्तुती व न्यायालय स्थगन आदेश के बावजुद मौके पर प्रार्थीगण की आराजी में सड़क के किनारे चारदीवारी का निर्माण कर फाटक लगा दी जिसे आदेशात्मक अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये हटवाने का अधिकारी है। अतः काउन्टर क्लेम सव्यय खारीज फरमावे।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकन किया कि ग्राम झड़ोल की गत आराजी संख्या 388 रकबा 4 बिस्वा के नवीन आराजी संख्या 685 रकबा 0.04 है0 बनाये [illegible] गलत है क्योकि वादग्रस्त गत आराजी संख्या 388 जो चाह के रूप में स्थित है [illegible] चाह प्रार्थीगणो के नाम दर्ज था जिसको वर्तमान में आराजी संख्या 685 के रूप में दर्शाया गया [illegible] गलत है। आराजी संख्या 685 जिस चाह पर नम्बर दज्र कर रखा वो चाह [illegible] चाह पुरानी आराजी संख्या 388 में स्थित था उसी के नये नम्बर 685 होने चाहिये [illegible]कि वर्तमान नक्शे में प्रार्थीगण के चाह के कोई पृथक से नम्बर नही देकर नवीन खसरा नम्बर विपक्षीगण के चाह पर डाल दिये तथा प्रार्थीगणो के चाह को नवीन आराजी नम्बर 686 में दर्शाया गया जो गलत है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.13 17:46:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई —

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य कथन किया कि विपक्षीगण प्रार्थीगण की आराजी में कब्जा करना चाह रहे है जिससे उनके विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे व प्रार्थीगण की आराजी में निर्माण किया गया उसे आदेशात्मक अस्थाई निषेधाज्ञा के हटवाई जावे।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे जवाबदावे व काउन्टर क्लेम में वर्णित तथ्याो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण साबिक आराजी संख्या 388 के खातेदार है विपक्षीगण साबिक आराजी संख्या 387 के खातेदार है प्रार्थीगण को विपक्षी की आराजियात में कोई दखल करने का अधिरि नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

मैने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन कर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि साबिक रेकार्ड में आराजी संख्या 388 रकबा 4 बिस्वा भूमि प्रार्थीगणो की संयुक्त खातेदारी भूमि है और इसी तरह साबिक आराजी संख्या 378/1 भी प्रार्थीगणो की खातेदारी भूमि है। साबिक आराजी संख्या 388 के राजस्व नक्शे में तरमीम का ट्रेस पेश किया गया है उसमें आराजी त्रिभुजाकर होकर साबिक आराजी संख्या 387 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से चालु होती है। और इसी प्रकार साबिक आराजी संख्या 378/1 व साबिक आराजी संख्या 387 के दक्षिणी पूर्वी कोने से लगती हुई है। साबिक आराजी संख्या 388 के नवीन खसरा नम्बर 685 कायम किये गये जो प्रार्थीगणो के नाम दर्ज कुएं के नम्बर कायम करने चाहिये थे जो नही कर विपक्षीगण के कुएं के नम्बर कायम कर प्रार्थीगणो के कुएं को विपक्षीगण की आराजी 686 में शुमार कर दिया गया है जो गलत है। इस राजस्व रेकार्ड की आड़ में विपक्षीगण प्रार्थीगण की आराजियात में दखल करना मौका रिपोर्ट से प्रतीत होता है। अन्तिम रूप से प्रार्थीगण द्वारा जो कब्जा किया जा रहा है वह साबिक आराजी संख्या 388 का भाग है या साबिक आराजी संख्या 387 का यह मूल वाद के दौरान साक्ष्य सबुत के आधार पर ही निस्तारण होगा। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रमाणित है सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगणो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. स्वीकार कर विपक्षीगण के विरूद्व मूलवाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम झड़ौल की साबिक आराजी संख्या 388 के जो नवीन खसरा नम्बर उस स्थान पर नही दर्शा कर आराजी संख्या 686 में शुमार किया गया है जबकि मौके पर प्रार्थीगण का जहां साबिक खसरा नम्बर 388 के मुकाबले कब्जा है उस जगह से प्रार्थीगण को बेदखल नही करे तथा किसी भी प्रकार का निर्माण न तो स्वयं करे न अन्य से करावे। प्रार्थीगण के कब्जे की भूमि आराजी संख्या 686 के भाग में दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे। आराजी संख्या [illegible] के की यथा स्थिति बनाई रखे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति [illegible]।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2021 को [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.13 17:46:34 IST
Reason: SelfAttested

28.12.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा